न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 163/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. श्योचन्द पुत्र भोला जाति अहीर

2. जयलाल पुत्र भोला जाति अहीर

निवासीयान ग्राम मोहलडिया तहसील बहरोड जिला अलवर

:---- अपीलांट

बनाम

1 मेहरचन्द पुत्र जेठिया जाति अहीर

2 ,विजयसिंह पुत्र हरिसिंह जाति अहीर

3 हनुमान पुत्र हरिसिंह जाति अहीर

4 सतवीर पुत्र हरिसिंह जाति अहीर

5 मिश्री पत्नी स्व0 हरिसिंह जाति अहीर निवासीयान ग्राम मोहलडिया तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

6 श्रवण पत्नी रामस्वरूप जाति अहीर

7 राजसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर

8 ब्रहम्मा देवी पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर

9 कृष्णा पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर

10 संतरा पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर

11 भगवानी पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर

12 राजेश पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासीयान ग्राम मोहलडिया तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

13 उप पंजीयक नीमराना जिला अलवर

14 राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

:---- असल रेस्पो0

15 बिल्लू पुत्र भोला जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तहसील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:-------- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, नीमराना
दिनांक 14.11.2018

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री अनिल गुप्ता

2. वकील रेस्पो0सं01 :- श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय

दिनांक 01.04.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, नीमराना द्वारा राजस्व वाद संख्या 2879/2015 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2018 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार करते हुये वादीगण का वाद खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत अदालत में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट आराजी साबिक खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 66 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, 69 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 74 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, 77 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, 119 रकबा 14 बिस्वा, 235 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, 236 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, 237 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, 238 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, 240 रकबा 08 बिस्वा, 241 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 242 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 249 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 321 रकबा 12 बिस्वा, 330 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 352 रकबा 17 बिस्वा, 353 रकबा 17 बिस्वा, 396 रकबा 13 बिस्वा, 398 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, 480 रकबा 03 बिस्वा, 487 रकबा 08 बिस्वा, 502 रकबा 5 बिस्वा, 504 रकबा 5 बिस्वा, 509 रकबा 6 बिस्वा, 526 रकबा 12 बिस्वा, 560. रकबा 6 बीघा, 601 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 663 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 480/683 रकबा 01 बिस्वा, 241/689 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मौहलडिया तहसील बहरोड हाल तहसील नीमराना हाल खसरा नम्बर 38 रकबा 0.39, 39 रकबा 0.37, 93 रकबा 1.74, 98 रकबा 0.43, 99 रकबा 0.21, 100 रकबा 0.23,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

137 रकबा 0.38, 141 रकबा 0.15, 201 रकबा 0.20, 738 रकबा 6.34, 739 रकबा 1.73, 740 रकबा 0.11, 714 रकबा 0.56, 716 रकबा 0.03, 741 रकबा 1.13, 713 रकबा 0.27, 752 रकबा 1.09, 667 रकबा 0.19, 659 रकबा 0.30, 649 रकबा 0.12, 650 रकबा 0.02, 657/938 रकबा 0. 11, 657 रकबा 0.12, 629 रकबा 0.21, 627 रकबा 0.35, 124/947 रकबा 0.05, 410 रकबा 0.07, 434 रकबा 0.06, 509 रकबा 0.06, 431 रकबा 0.07, 526 रकबा 0.06, 529 रकबा 0.20, 587 रकबा 0.01, 588 रकबा 0.44, 591 रकबा 0.64, 593 रकबा 0.35, 449 रकबा 0.32, 450 रकबा 0.20, 451 रकबा 0.31, 867 रकबा 0.93, 256 रकबा 0.29, 257 रकबा 0.04 कुल किता 41 रकबा 20.68 हेक्टेयर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था । दौराने विचारण वाद प्रतिवादीगण ने एक प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी का मौके पर पारिवारिक बाहमी बटवारे के आधार पर सम्वत 2042 में वादीगण की माता जी एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्गों द्वारा बंदोबस्त कमेटी के समक्ष मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक बटवारा करने बाबत सहमति दी थी और सहमति के रूप में खसरा परिशोधन पर चमेली देवी एवं हमारे बुजुर्गों ने अंगूठा निशानी किये थे । वादीगण को विवादित भूमि के राजस्व रेकार्ड की शुरू से ही जानकारी थी । इसलिये वादीगण को वाद कारण पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । वादीगण ने बिना वाद कारण के ही वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर वादीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

बहस में विद्वान वकील वादीगण अपीलांटस का कथन है कि हमारी खातेदारी की भूमि का रकबा साबिक रेकार्ड में 4.99 दर्ज था, परन्तु बंदोबस्त विभाग ने सम्वत 2042 में इसका रकबा केवल 3.65 हेक्टेयर ही दर्ज किया था । इस प्रकार बंदोबस्त विभाग ने 1.34 हेक्टेयर रकबा हमारे खाते में कम दर्ज किया है । हमारी माता जी चमेली देवी ने सम्वत 2042 में बाहमी बंटवारा कराने सम्बन्धी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी थी । उन्होंने कोई अंगूठा निशानी नहीं लगाई थी । खसरा परिशोधन पर एक तरफ चमेली देवी के फर्जी अंगूठा निशानी है तथा दूसरी तरफ उनके पति भोला के फर्जी निशानी

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अंगूठा है । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि भोला का देहान्त दिनांक 1.11. 1975 को हो गया था, जबकि खसरा परिशोधन पत्र दिनांक 21.6.82 का है । स्पष्ट है कि भोला के फर्जी अंगूठा निशानी कराये गये हैं । हमारा दावा दुरूस्ती का है । दुरूस्ती के वाद को सम्पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर मेरिटस पर निर्णीत करना चाहिये, आदेश 7 नियम 11 में खारिज नहीं किया जा सकता । जिस खसरा परिशोधन पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण का प्रा0 पत्र स्वीकार कर हमारा वाद पत्र खारिज किया गया है, वह खसरा परिशोधन पत्र ही फर्जी है तो ऐसी स्थिति में परिशोधन पत्र के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता । तहत अदालत में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था । ऐसी स्थिति में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था, आदेश 7 नियम 11 में वाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपने न्यायिक दृष्टांत 2018 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1425 में अभिनिर्धारित किया है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि विवादित भूमि से इनका कोई लेना देना नहीं है । बंदोबस्त सम्वत 2042 में बंदोबस्त कमेटी के समक्ष चमेली देवी एवं भोला ने विवादित आराजी का आपसी बाहमी बंटवारा हमारे बुजुर्गो से कर लिया था, जिसका खसरा परिशोधन पत्र भरा गया है । उक्त परिशोधन पत्र वादीगण की माता चमेली एवं उनके पति भोला के सहमतिस्वरूप अंगूठा निशानी है । इस प्रकार सम्वत 2042 में जो इन्द्राजात आये है, वो आपसी सहमति से कराये गये बाहमी बटवारे के आधार पर आये हैं, जिसकी जानकारी वादीगण अपीलांटस को बखूबी है । अब वादीगण के लिये वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है । मेरा यहां यह भी निवेदन है कि जब वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है और आदेश 7 नियम 11 का प्रा0 पत्र प्रस्तुत नहीं होता है तो उस स्थिति में न्यायालय असहाय नहीं है, वही धारा 151 सी0 पी0 सी0 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भी वाद खारिज कर सकता है, जैसा कि माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत 2008 (2) आर0 एल0 डब्ल्यू0 पेज 1390 (राज0) में प्रतिपादित किया है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया । वादीगण अपीलांटस ने अपने वाद पत्र में बंदोबस्त सम्वत 2042 में किये गये इन्द्राजों को चैलेंज किया है तो दूसरी तरफ प्रतिवादीगण रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 में कथन किया है कि उक्त इन्द्राज आपसी सहमति से किये गये बाहमी बटवारे के आधार पर आये हैं, इसलिये अब वादीगण को कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है । पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न रेकार्ड का अवलोकन किया । खसरा परिशोधन पत्र के अवलोकन से सिद्ध है कि पक्षकारान ने अपनी सहमति से सम्वत 2042 में विवादित आराजी का आपसी बाहमी बटवारा कर लिया था । उक्त बटवारा का खसरा परिशोधन पत्र बंदोबस्त विभाग द्वारा भरा गया था, जिस पर सहमति स्वरूप वादीगण अपीलांटस की माता चमेली देवी एवं उनके पति भोला के अंगूठा निशानी अंकित है । इस परिशोधन पत्र के आधार पर बंदोबस्त सम्वत 2042 में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये गये हैं । उन्हीं इन्द्राजों को वादीगण अपीलांटस ने अपने वाद पत्र में चैलेंज किया है, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इन्द्राज आपसी सहमति से किये गये बाहमी बटवारे के आधार पर आये है, बंदोबस्त विभाग की गलती से नहीं आये हैं । इसलिये सम्वत 2042 में आये इन्द्राजों को चैलेंज करने का वादीगण अपीलांटस को कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है । आदेश 7 नियम 11 (क) सी0 पी0 सी0 में प्रावधान दिया गया है कि जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है, वहां वाद पत्र नामंजूर कर देना चाहिये । तहत अदालत ने वादीगण अपीलांटस का वाद आदेश 7 नियम 11 में सही तौर पर खारिज किया है । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 14.11.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

1/4/2021

(अशोक कुमार सोखेला)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर